बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—::संकल्प::—

पटना—15, दिनांक........................

श्री किशोर कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक—1074/11, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक—2095 दिनांक—20.06.2025 द्वारा आरोप पत्र गठित कर इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध निजी व्यक्ति के माध्यम से अवैध वसूली करने, अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने तथा पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में इस विभाग के स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक—14028 दिनांक—30.07.2025 द्वारा श्री कुमार से बचाव अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इस हेतु विभागीय पत्रांक—17951 दिनांक—22.09.2025, पत्रांक—20035 दिनांक— 22.10.2025 एवं 21629 दिनांक—21.11.2025 द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित करने हेतु उन्हें स्मारित भी किया गया। स्मारोपरांत श्री कुमार के पत्र दिनांक—05.12.2025 द्वारा बचाव अभिकथन इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत श्री कुमार के बचाव अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए आरोप की गंभीरता के मद्देनजर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत मामले की गहन जांच के लिये अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

4. श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। इस अनुशासनिक कार्यवाही के उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे।

5. श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव

C:\Ahsan 16-12-2025\Sankalp\Kishor kumar DP 527.docx

निबंधित/
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–27/आरोप–01–13/2023 सा0प्र0 28 **/पटना–15, दिनांक** 01.01.26

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/श्री किशोर कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–1074/11, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया वर्तमान पताः– 1001, शिवमित्रा अपार्टमेन्ट, विवेकानन्द मार्ग, डाकघर–श्री कृष्णापुरी, थाना–श्री कृष्णापुरी, जिला–पटना, पिन–800013/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14/चारित्री कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभागीय परिपत्र संख्या 2178 दिनांक 28.02.2007 के आलोक में उक्त के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का संपादन कर जाँच प्रतिवेदन (मंतव्य सहित) शीघ्र विभाग को भेजना सुनिश्चित करेगें।

3. जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से अनुरोध है कि अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में अपने स्तर से यथाशीघ्र किसी पदाधिकारी को मनोनीत कर संचालन पदाधिकारी को सूचित करते हुए इस विभाग को भी अवगत कराने की कृपा करेगें।

अनु0 :–

1. जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–2095 दिनांक–20.06.2025 की छायाप्रति।
2. आरोप–पत्र की छायाप्रति।
3. विभागीय पत्रांक–14028 दिनांक–30.07.2025, पत्रांक–17951 दिनांक–22.09.2025, पत्रांक–20035 दिनांक–22.10.2025 एवं 21629 दिनांक–21.11.2025 की छायाप्रति।
4. श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन दिनांक–05.12.2025 की छायाप्रति।

ह0/- 1/1/25
सरकार के अपर सचिव

C:\Ahsan 16-12-2025\Sankalp\Kishor kumar DP 527.docx